

प्रेषक,

केशव देसिराजु  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

- |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|
| 1.  | समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,<br>उत्तराखण्ड शासन।    | 2.  | प्रमुख स्थानिक आयुक्त,<br>उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।   |
| 3.  | सचिव, श्री राज्यपाल<br>उत्तराखण्ड।             | 4.  | सचिव, विधान सभा<br>उत्तराखण्ड।                     |
| 5.  | रजिस्ट्रार जनरल,<br>उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड। | 6.  | सचिव, लोकायुक्त<br>उत्तराखण्ड।                     |
| 7.  | सचिव,<br>सूचना आयोग उत्तराखण्ड।                | 8.  | समस्त विभागाध्यक्ष<br>उत्तराखण्ड।                  |
| 9.  | समस्त मण्डलायुक्त,<br>उत्तराखण्ड।              | 10. | अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,<br>समस्त निगम, उत्तराखण्ड। |
| 11. | समस्त जिलाधिकारी,<br>उत्तराखण्ड।               |     |  |

चिकित्सा अनुभाग-३

देहरादूनः दिनांक ०१ दिसम्बर 2008

**विषय:** सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की प्रति तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित नियमावली, 2004 एवं नियमावली, 2008 की प्रति व धूम्रपान निषेध नियम के सम्बन्ध में मार्ग निर्देशक बिन्दु की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय अधिनियम एवं संगत नियमावली में निहित प्राविधानों के अधीन अपने अधीनस्थ विभागों में प्रत्येक स्तर पर सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने तक प्रभावी कार्यवाही करते हुए सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को तदनुसार अनियमित नियमावली का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोपरि।

भावदीय

(केशव देसिराजु)  
प्रमुख सचिव।

पृष्ठां संख्या-//56/XXVIII-3-2008-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ अफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- ✓ 2. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित भारत सरकार के नियन्त्राधीन विभाग/संस्थान।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल/एनोआईसी०।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)  
उप सचिव।  
८६

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी  
उप सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1 सचिव                | 2 सचिव           |
| न्याय विभाग           | वित्त विभाग      |
| उत्तराखण्ड शासन।      | उत्तराखण्ड शासन। |
| 3 अपर सचिव            | 4 अपर सचिव       |
| गृह विभाग             | खाद्य विभाग      |
| उत्तराखण्ड, देहरादून। | उत्तराखण्ड शासन। |

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 08 जून, 2009

विषय:- सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) (संशोधित) नियम, 2008 का समुचित क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) (संशोधित) नियम, 2008 (प्रति सलांग) का समुचित क्रियान्वयन/अनुपालन किये जाने हेतु दिनांक 16.06.2009 को प्रातः 10.30 बजे प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक आहूत की गयी है, जिसमें निर्धारित समय पर स्वयं अथवा विभाग के प्रतिनिधि की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीय

(सुनीलश्री पांथरी)

उप सचिव।

पृष्ठा: 407 (1)/XXVIII-3-2009-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- ✓ 1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त बैठक में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ सम्मय संगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
  2. निजी सचिव-प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
  3. निजी सचिव-अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
- आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)

उप सचिव।

Plurilic  
to file  
Amrit

16/06/09

16/06/09  
प्र० ८०  
अप० ८० (स्वास्थ्य)  
षष्ठी जून (स्वास्थ्य)

प्रेषक,

डा० भूपिन्दर कौर औलख  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,  
उच्च शिक्षा/विद्यालयी शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/  
समाज कल्याण विभाग  
उत्तराखण्ड शासन।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 13 मई, 2010

विषय: शैक्षिक संस्थाओं के आसपास सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-332/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 05.04.2010 के क्रम में अपर सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 19.04.2010 की प्रति संलग्न करते हुये मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने के निमित की गयी कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि वस्तुस्थिति से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को अवगत कराया जा सके।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(भूपिन्दर कौर औलख)

अपर सचिव।

पु० संख्या-453 /XXVIII-3-2010-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड को शासन के पत्र संख्या-373/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 29.04.2010 के क्रम में अपर सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 19.04.2010 की प्रति संलग्न करते हुये इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबन्ध लगाये जाने, अवयस्क को तम्बाकू उत्पाद बेचे जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने एवं तम्बाकू उत्पाद के पैकेटों पर स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतावनी अंकित किये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)

उप सचिव।

प्रेषक,

केशव देसिराजु  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ महानिदेशक

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 07/सितंबर 2008

विषय: सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य/जिला स्तर पर टाँस्क फोर्स के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-19प/8/168/2008/29754, दिनांक 18 सितम्बर, 2008 के संदर्भ में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य/जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी/टाँस्क फोर्स निम्नवत गठित की जाती है:-

(34/1) (A3/H) (C8) राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी/टाँस्क फोर्स:-

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	पुलिस महानिदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
3.	निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड	सदस्य
4.	अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा	सदस्य
5.	महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
6.	निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड	सदस्य
7.	महाप्रबन्धक, परिवहन निगम उत्तराखण्ड	सदस्य
8.	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड	सदस्य

9.	संयुक्त निदेशक, (एन०सी०डी०) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय	सदस्य
10.	स्टेशन प्रबन्धक, दून रेलवे स्टेशन	सदस्य
11.	निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र उत्तराखण्ड	सदस्य
12.	निदेशक, पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड	सदस्य
13.	प्रधानाचार्य, राजकीय होटल मेनेजमेन्ट संस्थान पटेलनगर	सदस्य
14.	महासचिव, आई०एम०ए०	सदस्य
15.	महासचिव, अधिवक्ता संघ	सदस्य
16.	विभागाध्यक्ष, कैसर विभाग एच०आई०एच०टी० मेडिकल कालेज	सदस्य
17.	निदेशक एकेडमी ऑफ मेनेजमेन्ट स्टडीज, डिफेन्स कालोनी देहरादून	सदस्य
18.	सचिव वरदान, एम०डी०डी०ए० कालोनी केदारपुरम देहरादून	सदस्य
19.	अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
20.	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक दून चिकित्सालय देहरादून	राज्य नोडल अधिकारी

#### जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी/टाँस्क फोर्स:-

1.	जिला अधिकारी	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
5.	प्रधानाचार्य, स्नातक/परास्नातक कालेज	सदस्य
6.	जिलाध्यक्ष, आई०एम०ए०	सदस्य
7.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका	सदस्य
8.	जिला अधिकारी द्वारा नामित एन०जी०ओ० के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय	जिला नोडल अधिकारी

उपरोक्तानुसार गठित राज्य/जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठके त्रैमासिक आयोजित की जाएँगी।

भवदीय,

(केशव देसिराज),  
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या : /XXVIII-3-2009-213/2001  
देहरादून, दिनांक, १५ दिसम्बर, 2009

अधिसूचना/प्रकीर्ण

राज्यपाल, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विभिन्नमन) अधिनियम, 2003 केन्द्रीय अधिनियम सं 34 वर्ष 2003 में प्रदत्त शावित्रियों का प्रयोग करते हुये स्वास्थ्य विभाग के द्वाग इन्स्पेक्टर, वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक, मनोरंजन कर निरीक्षक (वित्त विभाग) ३ द्व-१, वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक (खाद्य विभाग), राजरख निरीक्षक (राजरख विभाग), पुलिस उप निरीक्षक (ठ विभाग), श्रम प्रवर्तन अधिकारी (श्रम विभाग) एवं राहानक प्रबन्धक उद्योग (उद्योग विभाग) को उक्त अधिनियम की धारा 12,13 एवं 25 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये अधिकृत करने की सहर्ष रुपौदृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(वेश्वर देसिराजु)  
प्रमुख सचिव,

संख्या : (1)/XXVIII-3-2009-213/2001 तददिनांकित।

प्रतिलिपि - निदेशक निम्न प्रतिलिपि को इस अधिकारी के लिये प्रेषित कि उक्त आधिसूचना को उसाधारण गजट के त्रिपायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकारित करने का कष्ट नहीं एवं अधिसूचना की 20 प्रतियाँ शासन को प्रेषित करने का कष्ट नहीं।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पाठरा)  
उप सचिव।

संख्या : १२५१)/XXVIII-3-2009-213/2001 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, राजरख विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैपेता १/पौड़ी।
6. सचिव, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
9. महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड १२-१३७८ रोड, देहरादून।
10. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकीय उत्तराखण्ड।
11. एनोआईसी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पाठरा)  
उप सचिव।

11/01/10

गुरुदी  
गुरुदी

प्रेषक,  
17/1/2011

डा० अजय कुमार प्रद्योत  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-३

देहरादून: दिनांक १७ जनवरी, 2011

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सुपरवाईजर तम्बाकू कंट्रोल हेल्प लाईन, नई दिल्ली के पत्र दिनांक ०१.१२.२०१० की प्रति संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के लोकल बस अड्डा, देहरादून में धूम्रपान का उपयोग किये जाने की शिकायत के आधार पर कृपया सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 में निहित प्राविधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये इस हेतु नामित नोडल अधिकारी के विवरण के साथ वस्तुस्थिति से तम्बाकू कंट्रोल हेल्प लाईन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डा० अजय कुमार प्रद्योत)  
अपर सचिव।

पृ० संख्या: २७ /XXVIII-3-2011-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि: सुपरवाईजर, तम्बाकू कंट्रोल हेल्प लाईन, डी-१४, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इनक्लेव-२, नई दिल्ली को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(डा० अजय कुमार प्रद्योत)  
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन  
चिकित्सा अनुभाग - 3

संख्या: /XXVIII-3-2013-213/2001  
देहरादून, दिनांक ८६ जनवरी, 2013.  
मार्च

664  
91313

Dr. R.F. Badoni  
J.D.(Ege)

6/3  
महानिदेशक  
चिकित्सा एवं प्रबंध  
उत्तराखण्ड

## अधिसूचना / प्रकीर्ण

राज्यपाल, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 34, वर्ष 2003) की धारा 25 एवं 28 एवं इस सम्बन्ध में समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित अधिकारियों को उनके अधिकारिता के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जिसने लोक स्थानों पर अधिनियम की धारा 4 अथवा धारा 6 के अधीन कोई अपराध कारित किया है, के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सक्षम व्यक्ति के रूप में प्राधिकृत करते हैं। ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसी रकम के लिए जो दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगी, शमन किया जा सकेगा।

क्रम संख्या कार्यवाही करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति

- ✓ 1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
2. राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी
3. नोडल अधिकारी/जिला एवं राज्य स्तर पर तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ के फोकल प्वाईट
4. निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक / अस्पताल प्रशासक
5. केन्द्रीय उत्पादकर/आयकर/सीमा शुल्क/बिक्रीकर /स्वास्थ्य/परिवहन के निरीक्षक एवं उनसे ऊपर के अधिकारी
6. खाद्य सुरक्षा अधिकारी/अभिहित अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग
7. कॉलेज/स्कूल के हेड मास्टर/प्राचार्य/शिक्षक
8. केन्द्र/राज्य सरकार के समस्त राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वायत्त संगठनों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के समकक्ष रैंक और उनसे ऊपर के अधिकारी
9. लाइब्रेरियन/सहायक लाइब्रेरियन/लाइब्रेरी प्रभारी/लाईब्रेरी के अन्य प्रशासनिक स्टाफ
10. स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर/स्टेशन हेड/स्टेशन प्रभारी
11. पोस्टमार्टर तथा ऊपर के अधिकारी
12. संस्था का प्रमुख/एच आर प्रबंधक/प्रशासन प्रमुख
13. हवाई पत्तन प्रबंधक/भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी तथा सभी अनुसूचित एयरलाईंस के अधिकारी
14. पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के पुलिस अधिकारी
15. पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के राज्य औषिधि निरीक्षक/ वरिष्ठ औषिधि निरीक्षक/ औषिधि नियन्त्रक
16. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि (संपंच/पंचायत सचिव)
17. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक—जिला स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)

18. जिला चिकित्सालय/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी
19. रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार/लोक अभियोजक/सरकारी वकील/न्यायलय परिसर का प्रभारी
20. विद्यालय निरीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी
21. यातायात अधीक्षक/सहायक यातायात अधीक्षक/बस विराम स्थल अधिकारी/टिकिट संग्राहक या संचालक

(एस० रामास्वामी)  
प्रमुख सचिव

संख्या: /XXVIII-3-2012-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निदेशक, गुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस अधिसूचना को असाधारण गैजट में प्रकाशित करने का कष्ट करे एवं अधिसूचना की 500 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।  
आज्ञा से

(पीयूष सिंह)  
अपर सचिव

संख्या: ५८ /XXVIII-3-2012-213/2001. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित—

1. सचिव, भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक पुलिस, उत्तराखण्ड शासन।
6. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
8. मिशन निदेशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
12. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अतर सिंह)

उप सचिव

## शीर्ष प्राथमिकता।

संख्या: २६० /XXVIII-3-2011-213/2001

प्रेषक,

डा० उमाकान्त पंवार

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,<br>उत्तराखण्ड शासन। | 2. समस्त विभागाध्यक्ष,<br>उत्तराखण्ड। |
|--|---------------------------------------|

चिकित्सा अनुभाग-३

देहरादून: दिनांक ३० मार्च, 2011

विषय:- सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 एवं सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापनों का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पार्श्वाकित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन की अधिसूचना दिनांक 08.12.2009 द्वारा सिगरेट और अन्य तम्बाकू

संख्या-420/XXVIII-3-2009-213/2001, दिनांक 08.12.2009

उत्पाद (विज्ञापन

संख्या-174/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 23.02.2010

का प्रतिषेध और

संख्या-699/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 09.08.2010

व्यापार एवं

संख्या-य०ओ०-७९/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 27.09.2010

वाणिज्य उत्पादन

आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) एवं केन्द्रीय अधिनियम संख्या-34 वर्ष 2003 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त अधिनियम की संगत धाराओं की कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। शासन के पत्र दिनांक 23.02.2010 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा विभाग के कार्यालयों को धूम्रपान तथा तम्बाकू रहित क्षेत्र घोषित किया गया है। शासन की अधिसूचना दिनांक 27.09.2010 द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय के सम्पूर्ण परिसर, राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित शैक्षिक संस्थाओं एवं शासकीय व अशासकीय कार्यालयों को गैर धूम्रपान क्षेत्र घोषित करते हुये इसे दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। शैक्षिक संस्थानों के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र को सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद की बिक्री से भी प्रतिबंधित किया गया है एवं शासन के पत्र दिनांक 09.08.2010 द्वारा प्रदेश स्थित होटल/रेस्टोरेन्टों पर हुक्का-पान पर प्रतिबंध लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड सचिवालय के सम्पूर्ण परिसर, राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित शैक्षिक संस्थानों एवं शासकीय/अशासकीय कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों जिन्हें उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से गैर धूम्रपान क्षेत्र घोषित करते हुये दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, पर सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस पर भारत सरकार द्वारा भी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

3. अतः अनुरोध है कि गैर धूम्रपान क्षेत्र घोषित स्थानों पर सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ₹ 200/- तक के जुमने से दण्डित कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु अधीनस्थ विभागों को निर्देशित करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० उमाकान्त पंवार)

सचिव।

प्र० संख्या: २६०(१) /XXVIII-3-2011-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें:-

1. मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड, 12 सुभाष रोड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(टी०क०) पन्त)

अपर सचिव।

प्रेषक,

एस० रामास्वामी  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक ०१ जनवरी, २०१०

**विषय:-** सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 एवं सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापनों का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.12.2011 (प्रति संलग्न) के ब्रह्म में कृपया शासन के पाश्वाक्तिपत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन की अधिसूचना दिनांक 08.12.2009 द्वारा सिगरेट और

संख्या-420/XXVIII-3-2009-213/2001, दिनांक 08.12.2009	अन्य तम्बाकू उत्पाद
संख्या-174/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 23.02.2010	(विज्ञापन का प्रतिषेध
संख्या-699/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 09.08.2010	और व्यापार एवं
संख्या-यू0ओ0-79/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 27.09.2010	वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति


तथा वितरण का

विनियमन) एवं केन्द्रीय अधिनियम संख्या-34 वर्ष 2003 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त अधिनियम की संगत् धाराओं की कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। शासन के पत्र दिनांक 23.02.2010 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा विभाग के कार्यालयों को धूम्रपान तथा तम्बाकू रहित क्षेत्र घोषित किया गया है। शासन की अधिसूचना दिनांक 27.09.2010 द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय के सम्पूर्ण परिसर, राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित शैक्षिक संस्थाओं एवं शासकीय व अशासकीय कार्यालयों को गैर धूम्रपान क्षेत्र घोषित करते हुये इसे दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। शैक्षिक संस्थानों के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र को सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद की बिक्री से भी प्रतिबन्धित किया गया है एवं श्रमसन के पत्र दिनांक 09.08.2010 द्वारा प्रदेश स्थित होटल/रेस्टोरेन्टों पर हुक्का-पान पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्त के क्रम में सुझे वह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूप्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 एवं सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापनों का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति तथा वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से 15 दिन के अन्दर शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।


संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,  
  
(एस० रामास्वामी)  
प्रमुख सचिव।

प्र० संख्या: १३५८/XXVIII-३-२०११-२१३/२००१, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड, 12 सुभाष रोड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल/एन०आई०सी०।

  
(पौष्टि सिंह)  
अपर सचिव।

प्रेषक,

केशव देसिराजु  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

AD(H)/AD(M) ✓/CD

3893

१८/१२

लोकायुक्त एवं प्रकृष्ट  
उत्तराखण्ड

सेवा में,

- |   |  |
|---|--|
| 1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,<br>उत्तराखण्ड शासन।    | 2. प्रमुख स्थानिक अधिकारी<br>उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।    |
| 3. सचिव, श्री राज्यपाल<br>उत्तराखण्ड।             | 4. सचिव, विधान सभा<br>उत्तराखण्ड।                      |
| 5. रजिस्ट्रार जनरल,<br>उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड। | 6. सचिव, लोकायुक्त<br>उत्तराखण्ड।                      |
| 7. सचिव,<br>सूचना आयोग उत्तराखण्ड।                | 7. समस्त विभागाध्यक्ष<br>उत्तराखण्ड।                   |
| 9. समस्त मण्डलायुक्त,<br>उत्तराखण्ड।              | 10. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,<br>समस्त निगम, उत्तराखण्ड। |
| 11. समस्त जिलाधिकारी,<br>उत्तराखण्ड।              |  |

## चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक १५ दिसंबर 2008

विषय: सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की प्रति तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित नियमावली, 2004 एवं नियमावली, 2008 की प्रति व धूम्रपान निषेध नियम के सम्बन्ध में मार्ग निर्देशक बिन्दु की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्रीय अधिनियम एवं संगत नियमावली में निहित प्राविधानों के अधीन अपने अधीनस्थ विभागों में प्रत्येक स्तर पर सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुए सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।10/11/2008  
19/12/2008

भवदीय,

Shri Keshav Desiraju  
(केशव देसिराजु) ||||  
प्रमुख सचिव।

प्र०संख्या-1/56 /XXVIII-3-2008-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल,  
पौड़ी/नैनीताल।
4. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित भारत सरकार के नियन्त्राधीन विभाग/संस्थान।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)

उप सचिव।



उत्तराखण्ड शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या: ३३२ / XXVIII-३-२०१०-२१३/२००१  
देहरादून: दिनांक ०५ मार्च, २०१०

अधिसूचना/संशोधन

चिकित्सा अनुभाग की अधिसूचना संख्या-४२०/ XXVIII-३-२००९ -२१३/२००१, दिनांक ८ दिसम्बर, २००९ द्वारा सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियम) अधिनियम, २००३ की धारा-१२,१३ एवं २५ के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु अन्य के साथ स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक को अधिकृत किया गया है, मैं आंशिक संशोधन करते हुए वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक के स्थान पर मुख्य खाद्य निरीक्षक को अधिकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२- उक्त अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

*Lokendra*  
(केशव देसिराजु)

प्रमुख सचिव।

संख्या: ३३२ /XXVIII-३-२०१०-२१३/२००१, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त संशोधन को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-४ खण्ड-ख (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की ५० प्रतियाँ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

*Sunil*  
(सुनील श्री पांथरी)  
उप सचिव।

संख्या: ३३२ /XXVIII-३-२०१०-२१३/२००१, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
२. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
३. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
४. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
५. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
६. सचिव, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
७. सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
८. सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
९. महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड।
१०. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
११. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

*Sunil*  
(सुनील श्री पांथरी)  
उप सचिव।

प्रेपक,

केशव देसिराजु  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. सचिव,  
विद्यालयी शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/  
समाज कल्याण विभाग  
उत्तराखण्ड शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी,  
उच्च शिक्षा,  
उत्तराखण्ड शासन।

चिकित्सा अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक ०५ मार्च, २०१०

**विषय:** शैक्षिक संस्थाओं के आसपास सिगरेट और अन्य तम्बाकू  
उत्पादों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 12.02.2010 की प्रति इसके संलग्नक सहित संलग्न करते हुये अवगत कराना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 19.01.2010 द्वारा शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबन्धित करते हुये, इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

2. अतः उक्त संदर्भित अधिसूचना के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अधिसूचना में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त शैक्षिक/प्रशैक्षणिक संस्थाओं (शासकीय एवं अशासकीय) के 100 गज की परीधि में आने वाले क्षेत्र में सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबन्धित किये जाने के निमित्त प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

*Lennur*  
(केशव देसिराजु) 1/4  
प्रमुख सचिव।

85 लेन्नर (20)9/4/2010

प्रेषक,

डा० उमाकान्त पंवार

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

~~उत्तराखण्ड  
शासन~~

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव

शहरी विकास

उत्तराखण्ड शासन।

2- प्रमुख सचिव

गृह विभाग

उत्तराखण्ड शासन।

चिकित्सा अनुभाग-३

देहरादून: दिनांक ०९ अगस्त, २०१०

विषय: प्रदेश स्थित होटल/रेस्टोरेन्टों में हुक्का पान पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के अ०शा० पत्र दिनांक ०७.०७.२०१० की प्रति संलग्न करते हुये मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि हुक्का पान की आने वाली समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कृपया प्रदेश के होटल एवं रेस्टोरेन्ट में हुक्का वार /हुक्का पान को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि वस्तुस्थिति से भारत सरकार को अवगत कराया जा सके।

2. कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय

संलग्नक-यथोपरि।

(डा० उमाकान्त पंवार)

/ सचिव।

संख्या-६७७ /XXVIII-3-2010-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि उक्त संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न करते हुये महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ प्रेपित कि वे प्रदेश स्थित होटलों एवं रेस्टोरेन्टों में हुक्का वार /हुक्का पान को प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)

अपर सचिव।

जानूर्य १०/११/२०१२  
११/११/२०१२

प्रेषक,

एस० रामास्वामी  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-३

देहरादून: दिनांक ०१ जनवरी, २०१२

**विषय:-** सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 एवं सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापनों का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.12.2011 (प्रति संलग्न) के क्रम में कृपया शासन के पाश्वाक्तिपत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। शासन की अधिसूचना दिनांक 08.12.2009 द्वारा सिगरेट और

संख्या-420/XXVIII-3-2009-213/2001, दिनांक 08.12.2009
संख्या-174/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 23.02.2010
संख्या-699/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 09.08.2010
संख्या-यू०३०-७९/XXVIII-3-2010-213/2001, दिनांक 27.09.2010

अन्य तम्बाकू उत्पाद  
(विज्ञापन का प्रतिषेध  
और व्यापार एवं  
वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति  
तथा वितरण का

विनियमन) एवं केन्द्रीय अधिनियम संख्या-34 वर्ष 2003 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त अधिनियम की संगत धाराओं की कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। शासन के पत्र दिनांक 23.02.2010 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित समस्त राजकीय चिकित्सालयों/चिकित्सा विभाग के कार्यालयों को धूम्रपान तथा तम्बाकू रहित क्षेत्र घोषित किया गया है। शासन की अधिसूचना दिनांक 27.09.2010 द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय के सम्पूर्ण परिसर, राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित शैक्षिक संस्थाओं एवं शासकीय व अशासकीय कार्यालयों को गैर धूम्रपान क्षेत्र घोषित करते हुये इसे दण्डनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। शैक्षिक संस्थानों के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र को सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद की बिक्री से भी प्रतिबन्धित किया गया है एवं शासन के पत्र दिनांक 09.08.2010 द्वारा प्रदेश स्थित होटल/रेस्टोरेन्टों पर हुक्मका-पान पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूप्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 एवं सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापनों का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से 15 दिन के अन्दर शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एस० रामास्वामी)

प्रमुख सचिव।

पुसंख्या: १३५८ /XXVIII-३-२०११-२१३/२००१, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड, 12 सुभाष रोड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल/एन०आई०सी०।

आशा से,

(पौष्टि सिंह)

अपर सचिव।

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,  
गृह/कारागार / चिकित्सा रखारथ्य  
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

समरत जिलाधिकारी  
उत्तरांचल

चिकित्सा अनुभाग-२

देहरादून | दिनांक 22.11.04

विषय सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनयमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) का अनुपालन रुनिश्चित किया जाना

भौतिक

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये पूर्व निर्देशों के क्रम में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप कृपया सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनयमन) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत वनी नियमावलों के अनुपालन में तुरन्त निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। –

1. कि प्रत्येक रेस्तरां एवं होटल में धूम्रपान हेतु भौतिक रूप से अलग जगह बोर्ड में लिखकर बनवायें।
2. कि राज्य के बस/अड्डे, रेलवे स्टेशन तथा एयरपोर्ट पर भी धूम्रपान हेतु भौतिक रूप से अलग जगह बोर्ड में लिखकर बनवायें।
3. कि प्रत्येक तम्बाकू के खुदरा विक्रय स्थानों पर आवश्यक रूप से बोर्ड लगा हो कि “नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद विक्रय नहीं किया जाता है।”
4. कि तम्बाकू सम्बन्धी प्रचार हेतु विज्ञापन के बोर्ड आपके जनपद में नहीं हैं।
5. कि तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन बसों की बॉडी पर, पोर्टरों, हैण्ड बिल तथा केबिल टीवी, रेडियो, अखबार आदि के जरिये नहीं किया जा रहा है।

6. कि आपके क्षेत्र में तम्बाकू उत्पाद कर्ताओं के वित्तीय संरक्षण में किसी प्रकार का सामाजिक अथवा खेलकूद का आयोजन नहीं किया जा रहा है।

कृपया अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह के दस तारीख तक आप द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना नाम से आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

भवदीय,  
 (एस०क० दास)  
 प्रमुख सचिव  
 गृह/कारागार/चिकित्सा स्वास्थ्य

संख्या २७२७/१) / चि०-२-२००४-२१३/२००१/ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने रतार से रिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनायमन) अधिनियम, 2003 का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

1. समरत प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन
2. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल
3. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल
4. रजिस्ट्रार, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल
5. महानिदेशक, पुलिस सेवाएं उत्तरांचल
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तरांचल
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल (पौड़ी) / कुमार्यू मण्डल-नैनीताल
8. महाप्रबन्धक, रेलवे, उत्तरांचल
9. समरत विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल
10. निजी सचिव, समरत मा० मंत्रीगण, उत्तरांचल
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन
12. समरत अनुभाग, उत्तरांचल सचिवालय
13. गार्ड फाइल

(अतर सिंह)  
 अनु सचिव

संख्या-२७२८/चि०-२-२००४-२१३/२००१

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,  
गृह/कारागार/ चिकित्सा स्वास्थ्य  
उत्तरांचल शासन

सेवा में

समर्त जिलाधिकारी  
उत्तरांचल

चिकित्सा अनुभाग-२

देहरादून दिनांक 22.11.04

विषय सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनयम) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना

महोदय,

भारत सरकार ने अधिसूचित कर सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनयम) अधिनियम, 2003 के अनुपालन हेतु सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण) नियम 2004 प्रख्यापित की है। नियमावली में प्रवर्तन हेतु अधिनियम के परिभाषित कुछ एक धाराओं का निम्न रूप से वर्णन किया गया है जो पुनः आपके संदर्भ हेतु निम्न रूप से उद्धृत किया जा रहा है-

- अधिनियम की धारा 3 (ठ) में उल्लिखित “खुले स्थान” में ऐसा कोई भी स्थान जहाँ जनता का आना जाना होता है, जैसे खुला अडिटोरियम, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टाप और ऐसे अन्य स्थान शामिल नहीं होंगे, और
- इसमें प्रयुक्त और इन नियमों में अपरिभाषित लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों अभिव्यक्तियों के अर्थ अधिनियम में क्रमशः दिये गये उनके अर्थ होंगे।

➤ लोक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध – (1) लोक स्थान के कार्यकलापों का मालिक अथवा प्रबंधक अथवा प्रभारी भारतीय भाषा (भाषाओं), जो लागू हो, में साठ से०मी० x तीस से०मी० के न्यूनतम आकार का स्पष्ट अक्षरों में कम से कम एक बोर्ड सार्वजनिक स्थान के प्रवेश पर और एक बोर्ड के अन्दर प्रमुख स्थान (स्थानों) पर प्रदर्शित करेगा जिस पर यह चेतावनी कि “गैर-धूम्रपान क्षेत्र-यहाँ धूम्रपान करना अपराध है” दी गयी हो।

(2) तीस कमरों वाले होटल अथवा तीस अथवा अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता रखने वाले रेस्तरां के मालिक अथवा प्रबंधक अथवा इन कार्यकलापों के प्रभारी तथा विमानपत्तन के प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि-

- (क) धूम्रपान तथा गैर-धूम्रपान क्षेत्र भौतिक रूप से अलग किये गये हैं।
- (ख) धूम्रपान क्षेत्र इस तरह स्थित होगा कि लोगों को गैर-धूम्रपान क्षेत्र में पहुँचने के लिये इससे गुजरने की आवश्यकता नहीं हो तथा
- (ग) प्रत्येक क्षेत्र में बोर्ड होंगे जिन पर “धूम्रपान क्षेत्र/गैर-धूम्रपान क्षेत्र” दर्शाया जायेगा।

➤ **सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध—** (1) गोदाम अथवा दुकान, जहाँ सिगरेट तथा कोई अन्य ऐसे तम्बाकू उत्पाद वितरण अथवा बिक्री हेतु दिये जाते हैं, के प्रवेश-द्वार अथवा इसके भीतर दर्शाये गये सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिये प्रयुक्त बोर्ड का आकार नब्बे से०मी० x साठ से०मी० से अधिक नहीं होगा और ऐसे बोर्डों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी।

(2) ऐसे प्रत्येक बोर्ड पर भारतीय भाषा जो लागू हो, में निम्नलिखित चेतावनियों में से एक चेतावनी होगी, जो बोर्ड के शीर्ष भाग के पच्चीस प्रतिशत क्षेत्र में होगी, अर्थात्

- (क) तम्बाकू से कैंसर होता है, अथवा
- (ख) तम्बाकू से मौत होती है।

(3) उप-नियम (2) में उल्लेखित बोर्ड में तम्बाकू उत्पाद के केवल ब्रान्ड नाम अथवा चित्र होगा और कोई अन्य प्रोत्साहक सन्देश तथा चित्र नहीं होगा।

➤ **नाबालिगों की बिक्री का प्रतिषेध—** (1) उस स्थान का मालिक अथवा प्रबंधक अथवा कार्यकलापों का प्रभारी, जहाँ सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री की जाती है, प्रमुख स्थान (स्थानों) पर साठ से०मी० x तीस से०मी० न्यूनतम आकार का एक बोर्ड प्रदर्शित करेगी जिसमें भारतीय भाषा (भाषओं), जो लागू हो, में चेतावनी “अट्ठारह वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दण्डनीय अपराध है” दी जायेगी।

(2) इस बात को साबित करने का दायित्व कि तम्बाकू उत्पाद का खरीदार नाबालिग नहीं है, तम्बाकू उत्पादों के विक्रेता पर होगा। संदेह की स्थिति में विक्रेता तम्बाकू खरीदार से अट्ठारह वर्ष की उम्र होने का उपयुक्त साक्ष्य देने का अनुरोध कर सकता है।

नियमावली के प्रभावी होने की तिथि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर 1 मई 2004 निर्धारित की गयी थी। उपरोक्त में निम्न तीन आवश्यक विषय प्रवर्तन हेतु निर्धारित थे –

- (1) लोक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध
- (2) सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध

नाबालिगों को बिक्री का प्रतिषेध।

अब उपरोक्त नियमावली द्वारा यह अपेक्षित है कि 1 दिसम्बर 2004 से तम्बाकू उत्पादों का शैक्षिक संस्थाओं के सौ गज वृत्त क्षेत्रफल में विक्रय प्रतिषेधित किया जाना है। (Ban on sale of Tobacco Products within a radius of 100 yards of Educational Institutions)

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया उपरोक्त के आधार पर अपने क्षेत्रों में सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनयमन) अधिनियम, 2003 के सभी नियमावली द्वारा परिभाषित (उपरोक्त) निषेधात्मक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इस अधिनियम व नियमावली के प्रवर्तन हेतु आपके अधीन जनपदों में एक तम्बाकू प्रतिषेध कोष (Tobacco Control Cell) का गठन शासन द्वारा किया जा चुका है।

भवंदीय,  
(एस0के0 दास)  
प्रमुख सचिव  
गृह/कारागार/चिकित्सा स्वारथ्य

संख्या २१२७(१)/चि०-२-२००४-२१३/२००१/तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनयमन) अधिनियम, 2003 का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन
2. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल
3. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल
4. रजिस्ट्रार, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल
5. महानिदेशक, पुलिस सेवाएँ उत्तरांचल
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल (पौड़ी) / कुमायूँ मण्डल—नैनीताल
8. महाप्रबन्धक, रेलवे, उत्तरांचल
9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल
10. निजी सचिव, समस्त मा० मंत्रीगण, उत्तरांचल
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन
12. समस्त अनुभाग, उत्तरांचल सचिवालय
13. गार्ड फाइल

(अतर सिंह)  
अनु सचिव

*केशव देसिराजु*  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।  
प्रेषक,  
५/६/०९

सेवा में,

केशव देसिराजु  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

महानिदेशक  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-३

देहरादून: दिनांक ८६ जून, 2009

विषय: सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) (संशोधित) नियम, 2008 का समुचित क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के अ०शा०प्त्र संख्या-पी-१६०११/१/२००४-पीएच, दिनांक 14.05.2009 की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए उल्लिखित करना है कि धूम्रपान तथा तम्बाकू उत्पाद के उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादक का (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियम) अधिनियम, 2003 मई, 2003 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के धारा-७ की उपधारा-१ के अधीन भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 दिनांक 15 मार्च, 2008 को अधिसूचित किया गया है। 29 सितम्बर, 2008 में भारत सरकार द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) (संशोधन) नियम, 2008 के नियम-३ के उपनियम-३ तथा च में संशोधन किया गया। अधिसूचना ०३ मई, 2009 के द्वारा उपरोक्त अधिनियम, 2003 की धारा-७ की उपधारा-१, धारा-८ की उपधारा-२ और धारा-३१ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त नियमावली में नियम-२ के खण्ड-ख में तथा नियम-३ के उपनियम-१ के खण्ड-ख में कठिपय प्राविधान प्रतिस्थापित किये गये।

उपरोक्त नियम ३१ मई, 2009 से लागू हो जायेंगे तथा ये नियम उन सभी तम्बाकू उत्पादों, आपूर्ति तथा वितरण पर ३१ मई, 2009 के बाद लागू हो जायेंगे। इसके लिए आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से भारत सरकार को अवगत कराये जाने हेतु शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें:-

1. उपरोक्त नियमों के प्राविधानों और उनके अनुपालन के लिए अधिसूचित अधिकारियों को नियमों के प्राविधानों से अवगत कराना तथा उन्हें उनके प्रति संवेदनशील होना।
2. अतिरिक्त अधिकारियों को नियमों के प्राविधान सुनिश्चित करने हेतु अधिसूचित/नामित करना।
3. ३१ मई, 2009 को या उसके बाद उत्पादित/निर्मित समस्त तम्बाकू उत्पादों पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का उल्लिखित किया जाना।
4. सूचना माध्यम के द्वारा उपरोक्त नियमावली के प्राविधानों का विस्तृत प्रचार एवं प्रसार।

संलग्नक-यथोपरि।

*५/६/२००९*

भवदीय

*L.S. Suman*  
(केशव देसिराजु)  
प्रमुख सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता  
संख्या: 166 / XXIV(6) / 2010

प्रेषक,

पी०सी० शर्मा,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- |  |  |
|--|--|
| 2. निदेशक<br>उच्च शिक्षा विभाग,<br>हल्द्वानी, नैनीताल।   | 2. कुलसचिव,<br>कुमौऊ / मुक्त / दून विश्वविद्यालय,<br>नैनीताल, हल्द्वानी, देहरादून। |
| 3. कुलसचिव,<br>देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांतिकुंज, हरिद्वार।<br>इकफाई विश्वविद्यालय, सेलाकुई, देहरादून।<br>पंतजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।<br>हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय, देहरादून।<br>पैट्रोलियम ऊर्जा एवं अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून। |  |

शिक्षा अनुभाग—6 (उच्च शिक्षा)

देहरादून: दिनांक: ५ जुलाई, 2010

विषयः— शैक्षिक संस्थानों के आसपास सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या— 166 / xxiv(6)/2010

दिनांक 6—5—2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्काल में सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक: 8.05.2010 की प्रति संलग्नकों सहित संलग्न कर प्रेषित करते हुये अवगत कराना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्यपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक: 19.01.2010 द्वारा शैक्षिक संस्थाओं के 100 राज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबन्धित

करते हुये, इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इसी कम में उनके द्वारा  
गाईड लाईंस भी तैयार की गयी है(छायाप्रति संलग्न)।

2. अतः उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईड लाईंस में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त शैक्षिक/प्रशैक्षणिक संस्थाओं (शासकीय/अशासकीय/निजी) के 100 गज की परिधि में आने वाले क्षेत्र में सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों की बिकी को प्रतिबन्धित किए जाने के निमित्त प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु सम्बन्धित को कड़े निर्देश निर्गत किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(पी०सी० शर्मा)  
प्रमुख सचिव

संख्या: 166 / XXIV(6) / 2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त संलग्नक की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन को पत्र संख्या: 537 / XXVIII-3-2010-213/2001 दिनांक: 07 जुलाई, 2010 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- (3) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- (4) उच्च शिक्षा अनुभाग—7, उत्तराखण्ड शासन
- (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)  
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या: ८०-१९/XXVIII-३-२०१०-२१३/२००१  
देहरादून: दिनांक २७ सितम्बर, २०१०

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003] (केन्द्रीय अधिनियम संख्या ३४ वर्ष २००३) और उक्त की धा. ३१ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रलय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) ने अधिसूचना दिनांक ३०-०५-२००८ द्वारा प्रछारित सार्वजनिक स्थलों पर धूप्रपात का प्रतिषेध नियमावला, २००१ को उत्तराखण्ड सचिवालय के सम्पूर्ण परिसर, राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित शैक्षिक संस्थाओं एवं शासकीय व अशासकीय कार्यालयों में इस अधिसूचना के प्रकाशन व लारीबू में निर्माणित निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**१. शासकीय/अशासकीय कार्यालयों में धूप्रपात का प्रतिषेध-**

- (क) समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों द्वारा कार्यालय के प्रवेश द्वारा एवं कार्यालय परिसर के प्रमुख स्थानों पर "गैर-धूप्रपात क्षेत्र-यहाँ धूप्रपात करना रु० २००/- तक के जुमनि से दण्डनीय अपराध है" का हिन्दी भाषा में ६०x३० सेमी० के चूनतम आकार का स्पष्ट अक्षरों में एक बोर्ड स्थापित किया जाय।
- (ख) शासकीय/अशासकीय कार्यालय परिसरों में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपर्योग करने वाले व्यक्ति से उक्त अधिनियम और नियमावली के प्राविशानामुसर रु० २००/- तक आर्थिक दण्ड बमूल दिया जाय।
- (ग) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियम) अधिनियम, २००३ की संगत धाराओं के अधीन कार्यालय परिसरों में सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आर्थिक दण्ड आरोपित करने हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा अधिनियम में विहित प्राविधानों के अनुसार इस नियमावली के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

**२. शैक्षिक संस्थानों के परिसरों को सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के विकल्प पर निषेध-**

- (क) शैक्षिक संस्थानों के १०० गज के दावरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट व तम्बाकू उत्पादों की विक्री को प्रतिबन्धित किये जाने एवं इस क्षेत्र को तम्बाकू क्षेत्र मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में शैक्षिक संस्थान के प्रभारी, स्वामी अथवा प्रबन्धक द्वारा परिषद से बाहर किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा, जो शैक्षिक संस्थान के १०० गज की दूरी के घेरे के क्षेत्र में सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के विकल्प के प्रतिषेध है और यह रु० २००/- तक के जुमनि से दण्डनीय अपराध है, प्रदर्शित कराया।

(सुभाष कुमार)  
मुख्य मन्त्री।

उत्तराखण्ड शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या: /XXVIII-3-2014-213/2001  
देहरादून: दिनांक: २९ नवम्बर, 2014

### कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (2) (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-34 वर्ष 2003) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य में विर्निविष्ट चेतावनी के बिना सिगरेट की खुली बिक्री को प्रतिबन्धित करते हैं।

(ओम प्रकाश)  
प्रमुख सचिव।

संख्या: /XXVIII-3-2014-213/2001, तददिनांक।

**प्रतिलिपि:** निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त ज्ञाप को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(महिमा)  
उप सचिव।

संख्या: १८५८(A) /XXVIII-3-2014-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि उपरोक्तानुसार निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. सचिव, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
9. महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
11. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(महिमा)  
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन  
चिकित्सा अनुभाग-३  
संख्या: /XXVIII-3-2015-213/2001  
देहरादून: दिनांक: ३/ मार्च, 2015

### अधिसूचना/प्रकीर्ण

राज्यपाल, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, 2003 की धारा 25 एवं 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन को रोकने के लिए अर्थदण्ड लगाने तथा एकत्र करने के लिए शासन की अधिसूचना संख्या 58/XXVIII-3-2013-213/2001 दिनांक 06 मार्च 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व में नियुक्त प्राधिकारियों के अतिरिक्त निम्नांकित अधिकारियों/कार्मिकों को भी प्राधिकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. पुलिस कांस्टेबल के समकक्ष रैंक तथा उनसे ऊपर के अधिकारी
2. नगर निगम/नगर पालिका के पर्यवेक्षक के समकक्ष तथा उनसे ऊपर के अधिकारी
3. राज्य/जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ में कार्यरत कंसलटेंट/काउंसलर/सामाजिक कार्यकर्ता
4. सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत खण्ड/जिला/ राज्य स्तरीय समन्वयक के समकक्ष तथा उनसे ऊपर के अधिकारी।

अधिसूचना संख्या 58/XXVIII-3-2013-213/2001 दिनांक 06 मार्च 2013 इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

/(  
(ओम प्रकाश)  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 181(i) XXVIII-3-2015-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि: निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
/  
(बी0आर0टम्टा)  
अपर सचिव।

संख्या: 101(ii) /XXVIII-3-2015-213/2001, तददिनांक।

प्रतिलिपि उपरोक्तानुसार निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. सचिव, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।
9. महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
11. एनोआईसी०/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी०आ०टम्टा)

अपर सचिव।

329  
A.DCM.e2

3/3/15

J.D MC

11/4/15

Mr. Aditya  
on  
11/4/15